संख्या:-[illegible] 4/33-3-2020-182/2013 टी.सी.

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग- 3 लखनऊ दिनांक- 22 जुलाई, 2020

विषयः- ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग एवं मनरेगा कन्वर्जेन्स के माध्यम से पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, पंचायती राज मंत्रालय एवं सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-जी-39011/2/2017-एफ0डी. दिनांक 10.06.2020 के कम में शासनादेश संख्या-1594/33-3-2020-33/2020 दिनांक 29.06.2020 द्वारा प्रदेश की पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण को प्रथम वरीयता देते हुए वित्त आयोग एवं मनरेगा कन्वर्जेंस से 50:50 के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंचायत भवन का संतृप्तीकरण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

उक्त के कम में दिनांक 15.07.2020 को आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में कतिपय जनपदों द्वारा ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग की धनराशि पर्याप्त न होने के कारण पंचायत भवन निर्माण सम्भव न हो पाने के विषय में अवगत कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश की पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग एवं मनरेगा की धनराशि से पंचायत भवन निर्माण कराये जाने की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः जिन ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग के धनराशि की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, उन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक धनराशि का वहन मनरेगा से किया जा सकता है। पंचायत भवन निर्माण की गतिविधि मनरेगा की कार्य सूची में सम्मिलित है। अतः पंचायत भवन निर्माण हेतु शत-प्रतिशत धनराशि भी मनरेगा से व्यय की जा सकती है।

कृपया उपरोक्तानुसार पंचायत भवन निर्माण के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Manoj
22.7.20

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

Amit Sri.